संख्या: 52/2018/588/छप्पन-2018-11/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2018

विषय: जनपद फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य को कराए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 985/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 21 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य को कराए जाने हेतु रू0 807.30 लाख का वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसका परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कराया गया और प्रभाग ने उक्त परियोजना का परीक्षणोपरान्त मूल्यांकित लागत रू0 730.47 लाख ऑकलित की है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी की रिसरफेसिंग एवं सम्बद्ध कार्य को कराए जाने हेतु रू0 730.47 लाख (रूपए सात करोड़ तीस लाख सैंतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 365.23 लाख (रूपए तीन करोड़ पैंसठ लाख तेईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नए कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर के ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रायोजना में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किए जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन/कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

(7) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी तथा कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जाएगी।

(10) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाए जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 का होगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-495/दस-2018, दिनांक 17 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्याः 52/2018/588(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/फैजाबाद ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी, फैजाबाद ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।